

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
संकल्प

संकल्प सं०:- 6323385 / पटना, दिनांक :- 01/10/2026
संचिका सं०-R-504/21/2025-SECTION 14-RDD-RDD (COM No-477894)

श्री सुशील कुमार (अनुक्रमांक-110081), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, लकडीनवीगंज (सिवान) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, कलेर (अरवल) के विरुद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में असंतोषजनक कार्य करने, रोकड़पंजी लंबित रखने, निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन नहीं करने, भी०सी० में भाग नहीं लेने, अनाधिकृत रूप से छठपूजा, रामनवमी आदि में अनुपस्थित रहने, पूछे गये स्पष्टीकरण का जबाब नहीं देने, निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्य में रुचि नहीं लेने के आरोपों पर जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक-346 दिनांक-03.04.2025 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया है।

2. जिला पदाधिकारी, सिवान से प्राप्त आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी, लकडीनवीगंज, सिवान के पत्रांक-1261 दिनांक-18.12.2025 के माध्यम से श्री कुमार द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया। जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र में वर्णित आरोप एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-5042686 दिनांक-09.01.2026 द्वारा जिला पदाधिकारी, सिवान से मंतव्य की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक-168 दिनांक-22.07.2026 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

3. श्री सुशील कुमार के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र, श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार के विरुद्ध निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 में चूक, प्रधानमंत्री आवास योजना में असंतोषजनक कार्य, रोकड़पंजी का अद्यतन संधारण नहीं करना, षष्ठम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत राशि का व्यय नहीं करने, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना एवं स्पष्टीकरण का ससमय जवाब नहीं देने संबंधी आरोप प्रतिवेदित हैं। श्री सुशील कुमार के द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण में उच्चाधिकारियों को दुर्भावना से ग्रस्त होकर कार्य करने का उल्लेख किया गया है। जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य में भी श्री कुमार द्वारा बताये गये कारण को मान्य नहीं प्रतिवेदित किया गया है।

4. इस प्रकार श्री सुशील कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, जिसकी वृहत एवं गहन जाँच की आवश्यकता है। तदालोक में श्री कुमार के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

5. उक्त के आलोक में श्री सुशील कुमार (अनुक्रमांक-110081), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, लकडीनवीगंज (सिवान) सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, कलेर (अरवल) के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने हेतु श्री राकेश गुप्ता, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला परियोजना पदाधिकारी-सह-निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, सिवान को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है।

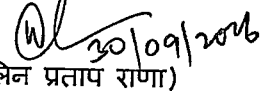


6. एतद् द्वारा श्री सुशील कुमार को आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति प्राप्त होने पर संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जैसा कि संचालन पदाधिकारी आदेश दें अपना स्पष्टीकरण/लिखित बचाव बयान (साक्ष्य सहित) उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगी।

7. अनुशासनिक कार्यवाही संचालन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

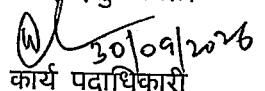

(नलिन प्रताप राणा)

विशेष कार्य पदाधिकारी

जापांक :- 6323385 / पटना, दिनांक :- 01/10/2026

संचिका सं०- R-504/21/2025-SECTION 14-RDD-RDD (COM No-477894)

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में, सी०डी० सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी

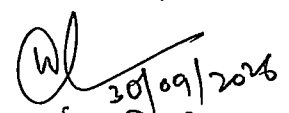
जापांक :- 6323385 / पटना, दिनांक :- 01/10/2026

संचिका सं०- R-504/21/2025-SECTION 14-RDD-RDD (COM No-477894)

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, सिवान एवं अरवल/उप विकास आयुक्त, सिवान एवं अरवल/कोषागार पदाधिकारी, सिवान एवं अरवल/श्री राकेश गुप्ता, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/जिला परियोजना पदाधिकारी-सह-निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, सिवान/प्रभारी पदाधिकारी प्रशाखा-03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्श हेतु) श्री सुशील कुमार (अनुक्रमांक-110081), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, लकड़ीनवीगंज (सिवान) सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, कलेर (अरवल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संचालन पदाधिकारी को आरोप पत्र एवं संबंधित अभिलेख/कागजात की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अनुशासनिक कार्यवाही तुरंत आरंभ कर दें तथा अपना प्रतिवेदन शीघ्र देंगे एवं कार्यवाही अभिलेख के साथ आदेश फलक संलग्न कर अपना निष्कर्ष तीन प्रतियों में विभाग/सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

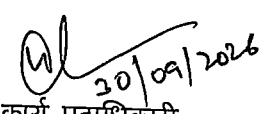
जिला पदाधिकारी, सिवान को पत्र की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि सरकार का पक्ष रखने हेतु वे जिला परियोजना पदाधिकारी-सह-निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, सिवान को अनुशासनिक कार्यवाही में उपस्थित होने का निदेश देंगे।


विशेष कार्य पदाधिकारी

जापांक :- 6323385 / पटना, दिनांक :- 01/10/2026

संचिका सं०- R-504/21/2025-SECTION 14-RDD-RDD (COM No-477894)

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी